न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1014 सन 2026

(CNR No. UPFT-010026132026)

1– समशेर शाह पुत्र अचकार शाह,

2– अचकार शाह पुत्र अबरार शाह,

3– सरवरी पत्नी अचकार शाह,

निवासीगण ग्राम बेहटा, जोनिहां थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 150 सन 2026

धारा: 85,115(2),123,324(4) व 351(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना: बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।

08.07.2026 :

आवेदक/अभियुक्तगण समशेर शाह, अचकार शाह व सरवरी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 150 सन 2026 धारा 115(2), 123, 324(4), 85, 351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से स्वयं आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा आयशा उर्फ मनीषा ने दिनांक 10.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी कि उसकी शादी को एक वर्ष पूरे हो गये लेकिन इस दौरान उसका पति मारता पीटता है क्योंकि उसका पति जुआं खेलता है, जब भी पैसे की कमी होती है तो घर का दहेज का सामान लगतार गिरवी रखना या बेंचना उसका काम है। मना करने पर मारता है, पहले जेवर छीना, फिर गाड़ी गिरवी रखा या बेंचा पता नहीं। कल गाड़ी के बारे में पूछा तो डाई घोलकर उसे पिला दिया, फिर आज

मॉ के ससुराल आने पर उसे बहुत ज्यादा मारा व किसी न किसी रूप से उसकी मम्मी–पापा से पैसे मांगने के लिए कहता है, साथ ही उसकी मम्मी को मारा और मोबाइल तोड़ दिया। उसे इतना मारा कि 112 नम्बर के आने के बाद फौरन सरकारी अस्पताल बिन्दकी में एडमिट कराना पड़ा। इसमें उसके ससुराल पक्ष के पति समशेर, श्वसुर अचकार, चचिया श्वसुर इकरार, सास सरवरी ने जान से मारने की धमकी दी कि मार डालो जो लगेगा, लगा लेंगे।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादिनी मुकदमा के विद्वान निजी अधिवक्ता की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक समशेर शाह ने परिवार न्यायालय में याचिका 201 सन 2026 समशेर शाह बनाम आयशा उर्फ मनीषा रूकसती का योजित किया और वादिनी ससुरालीजन से अलग रहने का दबाव बनाती रही, शौक पूरा न होने पर आवेदकगण के विरूद्ध झूंठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती रहती थी। आवेदकगण सम्मानित व्यक्ति है और उनकी छवि धूमिल करने के लिए झूंठा मुकदमा दाखिल किया गया है। आवेदकगण विवेचना में सहयोग करेंगे तथा साक्ष्य को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगे। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और वादिनी/पीडिता के पति, श्वसुर व सास है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी आयशा उर्फ मनीषा का विवाह आवेदक/अभियुक्त समशेर शाह के साथ होने के उपरान्त से आवेदक/अभियुक्तगण सहित सह अभियुक्त वादिनी से पैसों की मांग करते हुए को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता, गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देते हुए डाई पिला दी गयी। अब तक की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि वादिनी मुकदमा आयशा उर्फ मनीषा का विवाह आवेदक/अभियुक्त समशेर शाह से होने के उपरान्त से समशेर शाह द्वारा पैसों की मांग कर, गाली गलौज हयिा व शराब पीकर मारापीटा एवं जबरन डाई पिलाया तथा आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी तथा वादिनी

को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार वादिनी आयशा उर्फ मनीषा व उसकी मॉ फरीदुननिशां से मारपीट करने व आयशा उर्फ मनीषा को डाई पिल्लाने का उल्लेख किया गया है किन्तु वादिनी आयशा उर्फ मनीषा के चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट आना नहीं पाया गया है तथा फरीदुननिशां की कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा न तो वादिनी या उसकी मॉ से मारपीट की गयी और न ही वादिनी को डाई पिलायी गयी और न ही इस आशय का कोई उल्लेख चिकित्सीय प्रपत्रों में है, चिकित्सीय प्रपत्रों में मात्र वादिनी के सीने में दर्द की शिकायत का उल्लेख है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित है। सम्बन्धित थाने से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण समशेर शाह, अचकार शाह व सरवरी की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/ अभियुक्तगण को मुकदमा अपराध संख्या 150 सन 2026 अन्तर्गत धारा 85 व 115(2), 123, 324(4), 351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर के मामले में विचारण पूर्ण होने तक गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की सूरत में आवेदक/अभियुक्तगण को उनके, प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये –

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं को किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष तलब किये जाने पर पेश करेगा; प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से भिज्ञ है, किसी पुलिस अधिकारी या अदालत के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करेंगें न उसे धमकी देंगें और न ही उससे कोई ऐसा वचन लेंगें। वह बगैर न्यायालय की अनुमति के 'भारत' नहीं छोंडेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 चैप्टर 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगे–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगी, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगे, स्थगन नहीं लेगा।

5– उपरोक्त में से किसी भी शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 08.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.10 10:38:48 +05'30'